न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 169-दो/09 विरूद्ध आदेश दिनाक 22-10-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 894/अपील/07-08.

विजय कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री रामप्रताप मिश्रा
निवासी ग्राम हिनौती सर्किल सज्जनपुर
तहसील राम. बघेलान
हाल मुकाम कृष्णनगर मुरली भवन के पीछे
सतना म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

1- प्रिज्म सीमेन्ट कंपनी लिमिटेड
स्थित ग्राम मनकहरी सर्किल सज्जनपुर
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.
2- हीरामणि मिश्रा तनय स्व. श्री वंशस्वरूप मिश्रा
निवासी ग्राम हिनौती सर्किल सज्जनपुर
तहसील रामपुर बाघेलान
हाल मुकाम कृष्णनगर मुरली भवन के पीछे
सतना म.प्र. ----- अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनाक 28 जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 394/अपील/07-08 में पारित आदेश दिनांक 22-10-08 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क. 2 ने अनावेदक क. 1 को विवादित भूमि का कुल रकबा 67.90 में से 4.41-1/4 हिस्सा पंजीकृत विक्रयपत्र के

तहत विक्रय किया गया और इस विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदक क. 1 ने तहसीलदार वृत्त सज्जनपुर के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जहां पर दिनांक 27--1--07 को नामांतरण आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस.डी.आ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 29--2--08 द्वारा निरस्त की । एस.डी.आ. के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अभिलेख के विपरीत हैं । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सिविल न्यायालय के आदेशों को अनदेखा किया गया है इस कारण उनके आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

4-- अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेषों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण का है और विचारण न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर किए गए नामांतरण आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार नामांतरण करेंगे और विक्रयपत्रों की वैधता या अन्यथा जांच राजस्व न्यायालय नहीं कर सकता और इसके लिए उन्होंने 2004 आर.एन. 125 का संदर्भ दिया है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर